नगर निगम, वाराणसी
वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन
(वित्तीय वर्ष 2022–23)

प्रारम्भिक

उत्तर प्रदेश नगर निगम लेखा नियमावली के नियम – 77(1) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 –23 का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन दो भागों यथा–(1) अनिस्तारित आपत्तियों की अद्यावधिक सूची, प्राविधिक त्रुटियॉ एंव अनियमितताओं का वर्णन तथा (2) मासिक रिपोर्ट में प्राधिकारीयों की गयी कार्यवाही तथा वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाला विवरण, आपत्तियॉ तथा नगर निगम के विभिन्न विभागों को प्रेषित पत्रों का विवरणं प्रस्तुत किया जा रहा है:–

भाग प्रथम

1–प्रशासन

प्रतिवेदित वर्ष (2022–23) में दिनांक 01.04.2022 से कार्यकाल की समाप्ति तक श्रीमती मृदुला जायसवाल महापौर रही। तत्पश्चात उ0प्र0 शासन द्वारा नियुक्त जिलाधिकारी की अध्यक्षता में त्रिसंदस्यीय समिति कार्यरत रही। इस अवधि में 01.04.2022 से 22.02.2023 तक श्री प्रणय सिंह, नगर आयुक्त पद पर रहें। दिनांक 23.02.2023 से 31.03.2023 तक श्री शिपू गिरि, नगर आयुक्त पद पर रहें।

2–सम्परीक्षण

प्रतिवेदित वर्ष (2022–23) में मुख्य नगर लेखा परीक्षक के पद पर श्री संजय प्रताप सिंह, दिनांक 01.04.2022.से 31.03.2023 तक कार्यरत रहे। लेखा परीक्षा विभाग में ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के चार तथा लेखा परीक्षक के नौ पद शासन द्वारा स्वीकृत है जिनमें उक्त वित्तीय वर्ष में नौ लेखा परीक्षक के पद रिक्त रहे तथा ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के पदों पर श्री शशिकान्त प्रसाद सियाराम, श्री अभय कुमार सिंह, श्री भास्कर चन्द्र पाण्डेय,दिनांक 01.04.2022 से सम्पूर्ण वर्ष तथा श्री सागर सिन्हा ,दिनांक 01.08.2022 से सम्पूर्ण वर्ष कार्यरत रहें।

3–अनिस्तारित आपत्तियाँ

वित्तीय वर्ष (2022–23) में एक विशेष आपत्ति तथा 28 साधारण आपत्ति सम्परीक्षा विभाग द्वारा उठाई गयी जिनका निस्तारण सम्बन्धित विभागों द्वारा नहीं काराया गया। नगर निगम लेखा नियमावली के नियम 76 के अनुसार सम्परीक्षा विभाग द्वारा लिखे गये आपत्ति विवरण पत्र विभागीय अधिकारीयों द्वारा प्राप्त करने पर अधिक से अधिक 15 दिन के अन्दर उत्तर सहित उनके अपने हस्ताक्षरों से वापस कर देना आवश्यक है, किन्तु विभागाधिकारीयों पर इस नियम के अनुपालन के सम्बन्ध में कोई प्रभावी अंकुश न होने के कारण लेखाओं की सम्परीक्षा करने व कराने का सारा मन्तव्य ही विफल हो जाता है।

विभागाध्यक्ष एवं विभागीय अधिकारी अपने विभाग के अभिलेखों का परीक्षण कराने में समुचित सहायोग प्रदान नही करते है। परीक्षण के प्रति उदासीनता का प्रदर्शन एवं परीक्षण से बचने का प्रयास करते रहते है। यही नहीं परीक्षण द्वारा उठाई गयी आपत्तियों का उत्तर देने तथा उनका निराकरण कराने में कोई रूचि नहीं ली गयी जो लेखा नियमावली के नियम –76 का स्पष्ट उल्लंघन है। यही दशा प्रतिवेदित वर्ष में भी बनी रही। परिणाम स्वरूप अनिर्णीत ऑडिट आपत्तियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जा रही है वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 756 विशेष आपत्ति तथा 19104 साधारण आपत्ति निस्तारण हेतु

अवशेष थी।

4–सामान्य त्रुटियों का विवरण

वित्तीय वर्ष 2022–23 में आय–व्यय के लेखा परीक्षण के समय निम्नलिखित त्रुटियॉ अधिकांशतः समस्त विभागों में पायी गई :–

(क) प्रायः पेंशन पत्रावलियों में संलग्न अदेय प्रमाण पत्रों पर पदाधिकारियों के पदनाम एवं मुहर आदि अंकित नहीं किये जाते है।

(ख) लेखा नियमावली के नियमों की अवहेलनाः– लेखा नियमावली के नियम 5 के अनुसार प्रत्येक अशुद्ध एवं अपरलेखन को उत्तरदायी कर्मचारी द्वारा सत्यापित होना चाहिये ऐसा प्रायः नहीं पाया जाता। अधिकृत सत्यापन के अभाव में किया गया अपर लेखन अशुद्ध एवं पुर्णतयाः वार्जित है जो भ्रामक स्थिति की ओर ले जाता है। प्रायः कर्मचारियों की सेवापुस्तिकाओं में अपर लेखन किया जाता है।

(ग) अधिकांशतः विभागों द्वारा कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं का रख रखाव नियमानुसार नहीं किया जाता है। सेवापुस्तिकाओं में कर्मचारियों का सेवा विवरण पूर्ण उल्लेख नहीं पाया गया। किन्ही – किन्ही मामलों में कई वर्षो के सेवाविवरण की प्रविष्टियॉ अंकित नही पायी गयी। प्रायः सेवापुस्तिकाओं में छठवें एवं सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारण की पिछले कई वर्षो की प्रवृष्टियॉ एक साथ किए जाने पर प्रविष्टियॉ त्रुटिपूर्ण पायी गयी। सेवापुस्तिकाओं में समस्त प्रविष्टयॉ प्राय : सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित भी नहीं पायी गयी ।

5– वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्राप्त एवं निस्तारित पेंशन/उपादान सम्बन्धी विषयों की समीक्षाः–

वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 171 पेंशन/उपादान के मामले विभिन विभागों का लेखा विभाग के माह से लेखा परीक्षण हेतु भेजे गये । समस्त 171 पेंशन/उपादान पत्रावलियों में से 157 पत्रावलियों का अन्तिम रूप से निस्तारण किया गया तथा 14 पत्रावलियों के मामलों में लेखा परीक्षण के दौरान दृष्टिगत गम्भीर आपत्तियों से लेखा विभाग एवं सम्बन्धित विभाग को अवगत कराया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में अवकाश नगदीकरण,चिकित्सा प्रतिपूर्ति , मृतक आश्रित में नियुक्ति के प्रकरण तथा समय–समय पर कर्मचारियों से सम्बन्धित सेवा सम्बन्धी आय प्रकरणों का सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में निस्तारण किया जाता रहा है।

(क) विभागो द्वारा भेजी गयी पेंशन पत्रावलियॉ अपूर्ण पायी गयी । लेखा विभाग का यह दायित्व है कि लेखा परीक्षण में पत्रावलियॉ भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि भेजी जाने वाली पत्रावलियों में आवश्यक पत्र–जात संलग्न है अथवा नहीं। लेखा विभाग द्वारा अपने स्तर से बिना जॉच के पत्रावलियों में भेजे जाने के कारण पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में बिलम्ब होने की सम्भावना के साथ प्रकरण निस्तारण में उपादान का स्थगित रखना पड़ता है।

(ख).पेंशन पत्रावलियों में वेतन तालिकायें अधिकांशत : त्रुटिपुर्ण पायी गयी यह स्पष्ट नही हो पाया कि उन्हे किस आधार पर तैयार किया गया । लेखा विभाग का यह दायित्व है कि उन तालिकाओं का मिलान मूल देयकों से करने के उपरान्त उसपर यह टिप्पणी अंकित की जाये कि वेतन तालिका का मिलान मूल वेतन देयको से कर लिया गया है तथा शुद्ध पाया गया इस आशय की आख्या प्रत्येक पत्रावलियॉ पर आवश्यक है।

(ग)लेखा परीक्षण के दौरान दृष्टिगत अनियमितताओं से लेखा विभाग एवं सम्बन्धित विभागों को समय–समय अवगत कराया गया। अधिकांश पत्रावलियों पर बार–बार आपत्तियॉ करने पर भी उनका निस्तारण नही किया गया। लेखा विभाग का दायित्व है कि उठायी गयी आपत्तियों के निस्तारण करवाने के पश्चात ही जॉचोपरान्त पत्रावलियों को लेखा परीक्षण हेतु जाच ,किन्तु विभाग द्वारा इसका पालन नही किया गया और पत्रावलियों को बिना जॉचे ही लेखा परीक्षण हेतु भेजे जाने का संबंधित का अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही

तथा उदासीन तर बरते जाने का द्योतक है।

(घ).पूर्व वर्णित कठिनाईयों के कारण पेंशन निस्तारण के कार्य में शीघ्रता लाये जाने हेतु परीक्षण विभाग को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह कटु सत्य है कि सम्बन्धित विभाग तथा लेखा विभाग द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान न किए जाने के कारण परीक्षण विभाग को अपने स्तर से प्रयास करके अनियमित भुगतान की वसूली कराये गए पेंशन प्रकरण का निस्तारण करना पड़ा है।

भाग–द्वितीय

1– वित्तीय स्थिति–(2022–23)

(क) सम्परीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 की वित्तीय स्थिति निम्नवत् थीः–

I. प्रारम्भिक अवशेष (बजट तखमीना)रूः– 13465000.00

II. वित्तीय वर्ष 2022–23 का प्रारम्भिक अवशेष(वास्तविक)रूः–2734042721.39

	बजट तखमीना	**वास्तविक आय**
राजस्व आय	1559920000.00	906421613.35
पूँजीगत आय	5305894000.00	3995979990.00
रिजर्व फण्ड आय	11500000.00	3842385.00
योगः–	**6877314000.00**	**4906243988.35**

III. प्रारम्भिक अवशेष सहित कुल योग :– 7640286709.74

उपरोक्त आय (विभिन्न लेखों में) नगर निगम वाराणसी के वार्षिक बजट 2022–23 में उल्लिखित है एवं दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक की वास्तविक आय का उल्लेख किया गया है।

(ख) वर्ष 2022–23 में व्ययः–

	बजट तखमीना	**वास्तविक व्यय**
राजस्व व्यय	3300980000.00	3023968041.84
पुँजीगत व्यय	3519794000.00	1487758959.00
रिजर्व फण्ड व्यय	61700000.00	33851776.00
योगः–	**6882474000.00**	**4545578776.84**

दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक नगर निगम, वाराणसी के विभिन्न निधियों में वार्षिक बजट 2022–23 में व्यय की गयी धनराशि का विवरण उल्लिखित है।

नगर निगम के रोकड़बही का अन्तिम अवशेष दिनांक 31.03.2023 के की समाप्ति पर लेखा विभाग द्वारा सम्परीक्षा को उपलब्ध कराया जाना चाहिए किन्तु उपलब्ध नहीं कराया गया। अन्तिम अवशेष का सत्यापन लेखा विभाग द्वारा दिनांक 31.03.2023 के अन्तिम अवशेष से सम्बन्धित रोकड़ बहियों तथा बैक स्टैटमेंट उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय व्यय का परीक्षण नहीं किया जा सका। बैक पास बुक सम्परीक्षा में अनुपलब्ध रही इसे प्रस्तुत करके जमा धनराशि का सत्यापन कराया जाना अपेक्षित है तथा बैंक समाधान विवरण बनाकर भी सत्यापन कराया जाए।

(2).सम्परीक्षा में पाये गए आपत्ति का विवरण तथा सम्परीक्षा टिप्पणी

1 करों/शुल्कों की वसुली हेतु समुचित कार्यावाही न करने से आय में कमी

क्र0स0	मद का नाम	बजट तखमीना (2022–23) लाख में	वास्तिक आय (2022–23)	कम आय	कमी का प्रतिशत
1.	सम्पत्ति कर	7600.00	596230968.35	163769031.65	21.54
2.	यात्री कर	5.00	0.00	0.00	100
3.	विज्ञापन शुल्क	410.00	25647301.00	15352699.00	37.44
4.	पार्किग शुल्क	200.00	3875773.00	16124227.00	76.78
5.	सिनेमा शुल्क	2.00	57180.00	142820.00	71.41

टिप्पणीः–

1. समस्त जोन की कर निधारण पंजी समाहरण पंजी उपलब्ध कराकर वसूली तथा बकाया का सत्यापन कराया जाना अपेक्षित है।

2. विभिन्न आवासीय/अनावासीय भवनों की नामन्तरण पत्रावली उपलब्ध कराकर सम्परीक्षा कराया जाना अपेक्षित है।

3. उपरोक्त विवरण के अनुसार विज्ञापन शुल्क में 37.44 प्रतिशत की कमी रही इस बढ़ाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। नगर निगम हेतु अधिकृत एजेशियों की सूची, अनुबन्ध उपविधि सहित समस्त पत्रावलियॉ सम्परीक्षा हेतु उपलब्ध कराया जाए।

4. सिनेमा शुल्क में वसूली की स्थिति अत्यंत ही कम है, इसे बढ़ाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। नगर निगम क्षेत्र में कुल सिनेमा घरों की सूची तथा मांग एवं समाहरण रजिस्टर सम्परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः समस्त अभिलेख उपलब्ध कराकर सम्परीक्षा कराया जाए।

5. पार्किग शुल्क आय में 76.78 प्रतिशत की कमी रही, यह स्थिति अत्यन्त ही असन्तोषजनक है,यह नगर निगम के आर्थिक हितों विरूध है। पार्किग स्थलों का विवरण प्रस्तुत करते हुए समस्त पत्रावलियों को सम्परीक्षा हेतु उपलब्ध कराया जाए।

2. अनुज्ञप्ति का नवीनिकरण न करने तथा नये अनुज्ञप्ति न बनाने से आय में कमी

क्र0स0	अनुज्ञप्ति का नाम	बजट तखमीना (2022–23) लाख में	वास्तिक आय (2022–23)	कम आय	कमी का प्रतिशत
1.	रिक्शा तागा नाव आदि	10.00	840984.00	159016.00	15.90
2.	हाथ ठेला ट्राली इत्यादि	5.00	314377.00	185630.00	37.12
3.	बीयर और शराब के दुकानों से	50.00	4369000.00	631000.00	12.62
4.	ज्यवलशील पदार्थ के दुकान	15.00	595040.00	904960.00	60.33
5.	रिक्शा चालक परिचय पत्र इत्यादि	1.00	7754.00	92246.00	92.24
6.	टोटल लाज धर्मशाला इत्यादि	30.00	1979817.00	1020183.00	34.00

7.	स्कूल / कालेज बस	20.00	505220.00	1494780.00	74.73
8.	नर्सिग होम अस्पताल	60.00	4961500.00	1038500.00	17.30

टिप्पणीः–

1. नगर निगम क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियों की वृद्धि के साथ ही उपरोक्त मदों की आय में वृद्धि होनी चाहिए थी जबकि आय में कमी हुई है, यह स्थिति अत्यन्त ही असंतोषजनक है तथा निगम के आर्थिक हितों के विरूध है। इसे बढ़ाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय। अनुज्ञप्ति से सम्बन्धित मांग एवं समाहरण पंजी उपलब्ध कराकर सत्यापन कराया जाना अपेक्षित है।

2. अनुज्ञप्ति से सम्बन्धित उपविधियों के अनुरूप विभिन्न मदों की अनुज्ञप्ति नहीं बनाये जाने की स्थिति स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

3 .निम्नलिखित मदों में शून्य आय प्राप्त होने के सम्बन्ध में

नगर निगम के निम्नलिखित मदों में बजट तखमीना (2022–23) के सापेक्ष कोई आय प्राप्त नहीं हुई विवरण निम्नलिखित हैः–

क्र0 स0	मद का नाम	बजट तखमीना (लाख में)	वास्तविक प्राप्त आय
1	**कार्यालय भवन– आवास (यूनियन बैंक व अन्य भवन किराया)**	10.00	0.00
2	**नियमिति करण शुल्क (दुकान)**	1.00	0.00
3.	**दण्ड और जुमार्ना (अतिक्रमण)**	2.00	0.00
4.	**दण्ड और जुमार्ना(ठेकेदार / आपूर्तिकता)**	2.00	0.00
5.	**घास / पेड़ आदि की बिक्री**	2.00	0.00
6.	**निष्प्रयोजय अप्रचलित भण्डार की बिक्री**	10.00	0.00
7.	**निष्प्रयोजय अप्रचलित सम्पत्ति की बिक्री**	50.00	0.00

4.यूजर चार्जेज की वसूली में कमी

आलोच्य वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुड़ा सग्रहण शुल्क हेतु 10 करोड़ का बजट प्रावधान था। वास्तविक वसूली 34558520.00 की हुई थी जो कि लक्ष्य में 65.45 प्रतिशत कम हैं यह स्थिति असन्तोषजनक है। वसूली को बढ़ाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। यूजर चार्जेज की वसूली सम्बन्धित अभिलेखों का सत्यापन कराया जाए।

5.निम्नलिखित मदों में गत वर्ष की तुलना में कम आय प्राप्त हुआ

वर्ष 2022–23 के वार्षिक बजट के अवलोकन से विदित हुआ कि वर्ष 2021–22 की तुलना में वर्ष 2022–23 में निम्नलिखित मदों में अपेक्षाकृत कम आय हुयी जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0स0	**लेखा शीर्षक**	**लेखा मद**	**बजट प्रावधान**	**वर्ष 2021–22 प्राप्त आय**	**वर्ष 2022–23 में प्राप्त आय**	**तुलना में कमी**
1	1302001	कार्यालय भवन आवास	3000000	18190	0	18190
2	1401004	नवीनीकरण शुल्कः ठेकेदार	1000000	335500	42550	292950

		आदि				
3	1401104	लाइसेंस शुल्क : बीयर और शराब की दूकानों से	5000000	4823350	4369000	454350
4	1401107	लोइसेंस शुल्कः रिक्शा चालक, परिचय पत्र एवं नामान्तरण	100000	20074	7754	12320
5	1401112	लाइसेंस शुल्क नर्सिंग होम/अस्पताल	6000000	5955422	4961500	993922
6	1404001	अन्य शुल्कः विज्ञापन शुल्क	41000000	41756319.5	25647301	16109018.5
7	1404005	अन्य शुल्कः मलवा निस्तारण	500000	35800	16800	19000
8	1405009	उपयोग कर्ता शुल्कः चौराहों का सौन्दर्यीकरण	500000	18300	3000	14700
9	1407001	सेवा/प्रशासनिक शुल्कः सड़क क्षति वसूली	85000000	20520107	14570599	5949508
10	1501001	घास /पेड़ आदि	200000	26300	0.00	26300
11	1501201	निज्यप्रयोज अप्रचलित भण्डार का बिकि	200000	39480	0.00	39480
12	1504101	उपकरणों पर भाड़ा :रोलर्स और यन्त्र (आलोक विभाग– लैडर्स)	200000	43896	21670	22226
13	1711001	बैंक खातों से ब्याज :बजत खाता	4000000	9680216	4252748	5427486
14	3111002	सीवरेज योजना (ट्रान्स वरूणा)	547200000	4044702	0.00	4044702
15	3201005	विशेष निधियॉ : हृदय योजना/ब्याज	16981000	3737	788	2949
16	3201012	अमृत योजना	130000000	339611	0.00	339611
	योग		8408.81	87661004.50	53893710	33767294.50

6. आलोच्य अवधि 2022–23 में विगत वित्तीय वर्ष 2021–22 की तुलना में निम्नलिखित लेखा शीर्षकों के अधीन अधिक व्यय हुआ है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

क. सं.	लेखा शीर्षक	लेखा मद	वर्ष 2022–23 का तखमीना (रू.पै.)	वर्ष 2022–23 का व्यय (रू. पै.)	वर्ष 2021–22 का व्यय (रू. पै.)	वर्ष 2021–22 तुलना में वर्ष 2022–23 के व्यय में वृद्धि (रू.पै.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	2101004	बोनस	13600000	8206704	0.00	8206704
2	2102001	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (नगर निगम निधि)	10000000	4474073	2371681	2101392
3.	2103001	पेंशन	450000000	450000000	396443023	53556977
4	2202101	प्रेस छपाई (फार्म विभाग)	1200000	1185484	676899	508585
5.	2203002	यात्रा व्यय : वाहनों का किराया	13500000	10211345	6928218	3283127
6.	2205101	विधि व्यय (अधिवक्ता शुल्क व मुकदमा समझौता खर्च)	4000000	12453821	69034	1174787

7.	2205202	सलाहाकार शुल्क (सी.ए फर्म)	1300000	1277398	841490	435908
8	2208002	आउटसोर्सिंग: मजदूर एवं अन्य	450000000	4948543	2001228	2947315
9	2208003	महापौर/पार्षद/अधिकारी भ्रमण/भत्ता	2500000	410808	121011	289797
10	2208005	अन्य आकस्मिक व्यय (प्रधान कार्यालय)	2500000	1751203	0.00	1751203
11	2301001	डीजल एवं पेट्रोल व्यय	80000000	7949234	56448806	23043518
12	2303001	भण्डार का उपयोग : विविध सामग्री (अभिन्यत्रण विभाग)	1000000	387892	333965	53927
13	2303003	भण्डार का उपभोग: स्वास्थ्यसामग्री (झाडू ,दवा ,टोकरी एवं अन्य)	20000000	16844477	12396863	4447614
14	2303004	भण्डार का उपभोग: उद्यान	500000	258370	189275	69095
15	2303005	भण्डार का उपभोग: परिवहन	18000000	10858296	18911072	8052776
16	2303007	भण्डार का उपभोग : कम्प्यूटर विभाग	1000000	39068	96788	42283
17	2203008	भण्डार का उपभोग: लाइसेंस	200000	158238	0.00	158238
18	2305002	25 प्रतिशत नगरीय निर्धन सुविधा (सड़क अनुरक्षण)	12500000	6668761	405	6668356
19	2305007	नाला नाली अनुरक्षण/निर्माण विभाग	40000000	39720990	3428686	36292304
20	2305009	सड़क मरम्मत (सड़क क्षति के सापेक्ष)	8500000	55956270	26371012	29585258
21	2305010	अन्य अकस्मिक व्यय (अभियन्त्रण)	2000000	1604045	0.00	1604045
22	2305011	फुटपाथ का रखरखाव	500000	500000	69765	430235
23	2305012	गलियों का रखरखाव	35000000	33783822	12451312	21332510
24	2305101	कुओं का रखरखाव	2500000	862250	264002	598248
25	2305102	उद्यानों का रखरखाव	3000000	2998000	1498616	1499384
26	2305103	कुण्ड/तालाबों का रखरखाव	4000000	3997000	3236030	760970
27	2305107	सार्वजनिक शौचालाओं एवं यूरिनल का रखरखाव	500000	500000	312524	187476
28	2305111	मूर्तियों का रखरखाव	500000	156484	83650	32834
29	2305112	गौशाला रखरखाव/अंशदान	24000000	18245037	5554609	
30	2305113	गंगा घाटों	100000	35247	0.00	35247
31	2305115	प्याऊ का रखरखाव	200000	29550	0.00	29550
32	2305121	भूमिगत जल निकासी (सफाई–वरूणापार)	7500000	3750000	0.00	3750000
33	2305122	निर्माण विध्वंस मलवा निस्तारण व्यय	6000000	3202623	0.00	3202623

34	2305201	कार्यालय भवनों का रखरखाव	3000000	2940000	0.00	2940000
35	2305202	अन्य भवनों का रखरखाव	15000000	14802676	904590	13897186
36	3505902	बिजली उपकरणों का रखरखाव	500000	74983	0.00	74983
37	2305903	कार्यालय उपकरणों का मरम्मत :(नेटवर्क उपकरण/आई.पी. उपकरण/सी.सी.कैमरा उपकरण सम्बन्धित	200000	94400	0.00	94400
38	2308002	**अन्य अनुरक्षण/व्यय**	30000000	29997000	24639921	535779
39	2308003	वर्षा जल निकासी व्यय	5000000	4693978	2706052	1987926
40	2407001	बैक चार्जेज	200000	105338.84	51330	54008.84

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उक्त में कुछ लेखामद ऐसे है जिसमे विगत वित्तीय वर्ष 2021–22 में भी व्यय हुआ है किन्तु इन मदों में आलोच्य अवधि 2022–23 का व्यय विगत वित्तीय वर्ष की अपेक्षा अधिक है।

1.मद संख्या 2101004 बोनस : वित्तीय वष 2022–23 मे उक्त मद में कुल व्यय धनराशि का व्यय 8206704 रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में उसी मद में कुल व्यय शून्य रहा इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 में उसी मद में धनराशि 8206704 की वृद्धि हुई है।

2.मद संख्या 2102001 चिकित्सा प्रतिपूर्ति (नगर निगम निधि) : वित्तीय वर्ष में 2022–23 में उक्त मद में कुल व्यय धनराशि का व्यय 4474073 रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में उसी मद में कुल व्यय 2371681 रहा इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2021–22 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022–23 में उसी मद में धनराशि 2101392 की वृद्धि हुई है।

3.मद संख्या 2103001 पेंशन : वित्तीय वर्ष 2022–23 मे उक्त मद में कुल धनराशि का व्यय 450000000 रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में उसी मद में कुल व्यय 396443023 रहा। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 में उसी मद में धनराशि 53556977 की वृद्धि हुई है।

4. मद संख्या 2202101 प्रेस छपाई (फार्म विभाग) :वित्तीय वर्ष 2022–23 मे उक्त मद में कुल व्यय धनराशि का व्यय 1185484 रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में उसी मद में कुल व्यय 676899 रहा इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 में उसी मद में धनराशि 508585 की वृद्धि हुई है।

5. मद संख्या 2203002 यात्रा व्यय : वाहनों का किराया : वित्तीय वर्ष 2022–23 मे उक्त मद में कुल धनराशि का व्यय 10211345 रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में उसी मद में कुल व्यय 6928218 रहा इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 में उसी मद में धनराशि 3283127 की वृद्धि हुई है।

6. मद संख्या 2205101 विधि व्यय (अधिवक्ता शुल्क व मुकदमा समझौता खर्च) : वित्तीय वर्ष 2022–23 मे उक्त मद में कुल धनराशि का व्यय 12453821 रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में उसी मद में कुल व्यय 69034 रहा। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 में उसी मद में धनराशि 1174787 की वृद्धि हुई है।

7.मद संख्या 2205202 सलाहकार शुल्क (सी.ए.फर्म) : वित्तीय वर्ष 2022–23 मे उक्त मद में कुल धनराशि का व्यय 1277398 रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में उसी मद में कुल व्यय 841490 रहा। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 में उसी मद में धनराशि 435908 की वृद्धि हुई है।

8. मद संख्या 2208002 आउटसोर्सिंगः मजदूर एवं अन्य : वित्तीय वर्ष 2022–23 मे उक्त मद में कुल धनराशि का व्यय 4948543 रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में उसी मद में कुल व्यय 2001228 रहा। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 में उसी मद में धनराशि 2947315 की वृद्धि हुई ।

9. मद संख्या 2208003 महापौर/पार्षद/अधिकारी भ्रमण/भत्ता : वित्तीय वर्ष 2022–23 मे उक्त मद में कुल धनराशि का व्यय 410808 रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में उसी मद में कुल व्यय 121011 रहा। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 में उसी मद में धनराशि 289797 की वृद्धि हुई है।

10. मद संख्या 2208005 अन्य आकस्मिक व्यय (प्रधान कार्यालय) : वित्तीय वर्ष 2022–23 मे उक्त मद में कुल धनराशि का व्यय 1751203 रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में उसी मद में कुल व्यय शून्य रहा। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 में उसी मद में धनराशि 17512023 की वृद्धि हुई है।

11.मद संख्या 2301001 डीजल एवं पेट्रोल व्यय : वित्तीय वर्ष 2022–23 मे उक्त मद में कुल धनराशि का व्यय 7949234 रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में उसी मद में कुल व्यय 56448806 रहा। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 में उसी मद में धनराशि 23043518 की वृद्धि हुई है जो मितव्यविता संम्बन्धी शासनादेश के विरूद्ध है।

12. मद संख्या 2303001 भण्डार का उपयोग : विविध सामग्री (अभिन्यत्रण विभाग) : वित्तीय वर्ष 2022–23 मे उक्त मद में कुल व्यय धनराशि का 387892 रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में उसी मद में कुल व्यय 333965 रहा इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 में उसी मद में धनराशि 53927 की वृद्धि हुई है।

13. मद संख्या 2303003 भण्डार का उपभोगः स्वास्थ्यसामग्री (झाडू ,दवा ,टोकरी एवं) :वित्तीय वर्ष 2022–23 मे उक्त मद में कुल धनराशि का व्यय 16844477 रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में उसी मद में कुल व्यय 12396863 रहा। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 में उसी मद में धनराशि 4447614 की वृद्धि हुई है।

14.मद संख्या 2303004 भण्डार का उपभोग : उद्यान विभाग वित्तीय वर्ष 2022–23 मे उक्त मद में कुल धनराशि का व्यय 258370 रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में उसी मद में कुल व्यय 189275 रहा। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 में उसी मद में धनराशि 69095 की वृद्धि हुई है।

15.मद संख्या 2303005 भण्डार का उपभाग परिवहन : विभाग वित्तीय वर्ष 2022–23 मे उक्त मद में कुल धनराशि का व्यय 10858296 रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में उसी मद में कुल व्यय 18911072 रहा। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 में उसी मद में धनराशि 8052776 की वृद्धि हुई है।

16.मद संख्या 2303007 भण्डार का उपभोग कम्प्यूटर विभाग (कार्टेज व अन्य आपूर्ति) : वित्तीय वर्ष 2022–23 मे उक्त मद में कुल धनराशि का 39068 रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में उसी मद में कुल व्यय 96788 रहा। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 में उसी मद में धनराशि 42283 की वृद्धि हुई है।

17. मद संख्या 2203008 भण्डार का उपभोग लाइसेंस विभाग :वित्तीय वर्ष 2022–23 मे उक्त मद में कुल धनराशि का व्यय 158238 रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में उसी मद में कुल व्यय शून्य रहा। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 में उसी मद में धनराशि 158238 की वृद्धि हुई है।

18. मद संख्या 2305002 25 प्रतिशत नगरीय निर्धन सुविधा (सड़क अनुरक्षण) : वित्तीय वर्ष 2022–23 मे उक्त मद में कुल धनराशि का व्यय 6668761 रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में उसी मद में कुल व्यय 405 रहा। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 में उसी मद में धनराशि 6668356 की वृद्धि हुई है।

19. मद संख्या 2305007 नाला नाली अनुरक्षण/निर्माण विभाग : वित्तीय वर्ष 2022–23 मे उक्त मद में कुल धनराशि का व्यय 39720990 रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में उसी मद में कुल व्यय 3428686 रहा। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 में उसी मद में धनराशि 36292304 की वृद्धि हुई है।

20. मद संख्या 2305009 सड़क मरम्मत (सड़क क्षति के सापेक्ष) : में वित्तीय वर्ष 2022–23 मे उक्त मद में कुल व्यय धनराशि का व्यय 55956270 रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में उसी मद में कुल व्यय 26371012 रहा। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 में उसी मद में धनराशि 29585258 की वृद्धि हुई है

21. मद संख्या 2305010 अन्य अकस्मिक व्यय (अभियन्त्रण) :वित्तीय वर्ष 2022–23 मे उक्त मद में कुल धनराशि का 1604045 रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में उसी मद में कुल व्यय शून्य रहा। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 में उसी मद में धनराशि 1604045 की वृद्धि हुई है।

22.मद सख्या 2305011 फुटपाथ का रखरखाव : वित्तीय वर्ष 2022–23 मे उक्त मद में कुल व्यय धनराशि का व्यय 500000 रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में उसी मद में कुल व्यय 69765 रहा। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 में उसी मद में धनराशि 430235 की वृद्धि हुई है।

23.मद संख्या 2305012 गलियों का रखरखाव : वित्तीय वर्ष 2022–23 मे उक्त मद में कुल धनराशि का व्यय 33783822 रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में उसी मद में कुल व्यय 12451312 रहा। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 में उसी मद में धनराशि 21332510 की वृद्धि हुई है।

24.मद संख्या 2305101 कुओं का रखरखाव : वित्तीय वर्ष 2022–23 मे उक्त मद में कुल धनराशि का व्यय 862250 रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में उसी मद में कुल व्यय 264002 रहा। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 में उसी मद में धनराशि 598248 की वृद्धि हुई है।

25.मद संख्या 2305102 उद्यानों का रखरखाव : वित्तीय वर्ष 2022–23 मे उक्त मद में कुल धनराशि का व्यय 2998000 रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में उसी मद में कुल व्यय 1498616 रहा। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 में उसी मद में धनराशि 1499384 की वृद्धि हुई है।

26. मद संख्या 2305103 कुण्ड/तालाबों का रखरखाव वित्तीय वर्ष 2022–23 मे उक्त मद में कुल धनराशि का व्यय 3997000 रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में उसी मद में कुल व्यय 3236030 रहा। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 में उसी मद में धनराशि 760970 की वृद्धि हुई है।

27.मद संख्या 2305107 सार्वजनिक शौचालाओं एवं यूरिनल का रखरखाव वित्तीय वर्ष 2022–23 मे उक्त मद में कुल धनराशि का व्यय 500000 रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में उसी मद में कुल व्यय 312524 रहा। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 में उसी मद में धनराशि 187476 की वृद्धि हुई है।

28.मद संख्या 2305111 मूर्तियों का रखरखाव :वित्तीय वर्ष 2022–23 मे उक्त मद में कुल धनराशि का व्यय 156484 रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में उसी मद में कुल व्यय 83650 रहा। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 में उसी मद में धनराशि 32834 की वृद्धि हुई है।

29.मद संख्या 2305112 गौशाला रखरखाव/अंशदान : वित्तीय वर्ष 2022–23 मे उक्त मद में कुल धनराशि का व्यय 18245037 रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में उसी मद में कुल व्यय 5554609 रहा।

30. मद संख्या 2305113 गंगा घाटों की मरम्मत : वित्तीय वर्ष 2022–23 मे उक्त मद में कुल धनराशि का व्यय 35247 रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में उसी मद में कुल व्यय शून्य रहा। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 में उसी मद में धनराशि 35247 की वृद्धि हुई है।

31.मद संख्या 2305115 प्याऊ का रखरखाव : वित्तीय वर्ष 2022–23 मे उक्त मद में कुल धनराशि का व्यय 29550 रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में उसी मद में कुल व्यय शून्य रहा इस। प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 में उसी मद में धनराशि 29550 की वृद्धि हुई है।

32.मद संख्या 2305121 भूमिगत जल निकासी (सफाई–वरूणापार) :वित्तीय वर्ष 2022–23 मे उक्त मद में कुल व्यय धनराशि का व्यय 3750000 रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में उसी मद में कुल व्यय शून्य रहा। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 में उसी मद में धनराशि 3750000 की वृद्धि हुई है।

33. मद संख्या 2305122 निर्माण विध्वंस मलवा निस्तारण व्यय : वित्तीय वर्ष 2022–23 मे उक्त मद में कुल धनराशि का व्यय 3202623 रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में उसी मद में कुल व्यय शून्य रहा। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 में उसी मद में धनराशि 3202623 की वृद्धि हुई है।

34. मद संख्या 2305201 कार्यालय भवनों का रखरखाव : वित्तीय वर्ष 2022–23 मे उक्त मद में कुल व्यय धनराशि का व्यय 2940000 रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में उसी मद में कुल व्यय शून्य रहा। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 में उसी मद में धनराशि 2940000 की वृद्धि हुई है।

35. मद संख्या 2305202 अन्य भवनों का रखरखाव : वित्तीय वर्ष 2022–23 मे उक्त मद में कुल धनराशि का व्यय 14802676 रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में उसी मद में कुल व्यय 905490 रहा। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 में उसी मद में धनराशि 13897186 की वृद्धि हुई है।

36. मद संख्या 2305902 बिजली उपकराणों का रखरखाव : वित्तीय वर्ष 2022–23 मे उक्त मद में कुल धनराशि का व्यय 74983 रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में उसी मद में कुल व्यय शून्य रहा। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 में उसी मद में धनराशि 74983 की वृद्धि हुई है।

37.मद संख्या 2305903 कार्यालय उपकरणों का मरम्मत :(नेटवर्क उपकरण/आई.पी.उपकरण/सी.सी.कैमरा उपकरण सम्बन्धित : वित्तीय वर्ष 2022–23 मे उक्त मद में कुल धनराशि का व्यय 94400 रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में उसी मद में कुल व्यय शून्य रहा। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 में उसी मद में धनराशि 94400 की वृद्धि हुई है।

38. मद संख्या 2308002 अन्य अनुरक्षण /व्यय : वित्तीय वर्ष 2022–23 मे उक्त मद में कुल धनराशि का व्यय 29997000 रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में उसी मद में कुल व्यय 24639921 रहा। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 में उसी मद में धनराशि 535779 की वृद्धि हुई है।

39. मद संख्या 2308003 वर्षा जल निकासी व्यय : वित्तीय वर्ष 2022–23 मे उक्त मद में कुल धनराशि का व्यय 4693978 रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में उसी मद में कुल व्यय 2706052 रहा। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 में उसी मद में धनराशि 1987926 की वृद्धि हुई है।

40.मद संख्या 2407001 बैक चार्जेज : वित्तीय वर्ष 2022–23 मे उक्त मद में कुल धनराशि का व्यय 105338.84 रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में उसी मद में कुल व्यय 51330 रहा। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 में उसी मद में धनराशि 54008.84 की वृद्धि हुई है।

इसके अतिरिक्त निम्नांकित मदों में आलोच्य अवधि 2022–23 में कोई व्यय नही हुआ है,जो इस

प्रकार हैः— कर्मचारी हेतु वस्त्र (वर्दी) (नगर निगम निधि)(समूह घ)(2102002),पत्रिकाए/समाचार पत्र (2202001) 25 प्रतिशत नगरीय निर्धन सुविधा (स्टोर से)(2305004), 25 प्रतिशत नगर निर्धन सुविधा (बाजार से) (2305006) यातायात संकेत अनुरक्षण (2305008) पार्किंग स्थलों का रखरखाव (2305104), करों का समायोजन (जलकल/विद्युत) (2703001), उत्तर प्रदेश जल निगम वाराणसी सीवरेज योजना (ट्रान्स वरूणा) (4604002), आपदा/अतिवृष्टि (अनुदान) (3201004), हृदय योजना (3201005), जायका योजना (3201007), अमृत योजना (3201002), परिवार कल्याण अनुदान (3202007), गंगा घाट पुनरूद्धार निधि (3202009), इत्यादि इसी प्रकार स्थाई सम्पत्तियों से सम्बन्धित विभिन्न मदों में बजट प्रावधान के सापेक्ष कोई धनराशि व्यय नहीं की गई।

7. विगत वित्तीय वर्ष 2021—22 की तुलना में आलोच्य अवधि वर्ष 2022—23 में कार्य विशेष निधियों से व्यय की स्थिति निम्नवत् है:—

क. सं.	लेखा शीर्षक	बजट तखमीना 2021—22	वर्ष 2022—23 का तखमीना (रू.पै.)	वार्षिक व्यय 2022—23	वार्षिक व्यय 2021—22	वर्ष 2021—22के वार्षिक व्यय की तुलना में वर्ष 2022—23 व्यय में वृद्धि /का
1	2	3		4	6	7
2.	3201006	चौदहवॉ वित्त आयोगः अनुदान	8000000	81065420	336953877	255888457
3.	3201006(1)	पन्द्रहवा वित्त आयोग : अनुदान	1460000000	810116033	473058796	—337057237
4.	3201007	जायका योजना	1674000	0	9573287	—9573287
5.	3201010	स्वच्छ भारत मिशन	310000000	228083052	9315483	—218767569
6.	3201012	अमृत योजना	130000000	0	531802	—531802
7.	3201013	नमामिगंगे योजना	4886000	38425865	34300420	—4125445
8.	3201015	डा.ए.पी.जे अब्दुल कलाम सौर पुज योजना	31123000	657	4005208	4004551
9.	3202001	नगर निगम अनुदान निधि (सी.एस.आर) आकस्मिक /अन्य	30000000	3549296	7543467.40	3994171.4
10	3202002	नगर निगम पूर्वाचल विधायक कोटा निधि	30000000	19122067	3498502	—15623565
11.	3202004	राज्य वित्त आयोग विकास निधि (पार्षद कोटा)	200000000	116121776	101589855	—14531921
12.	3202010	नगरीय अवस्थापना विकास निधि	360000000	161789294	98057830	—63731464
14.	3202014	कान्हा गोशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना (भरण पोषण)	30000000	12746316	19118205	6371889
17.	3202015	मुख्यमंत्री नगर सृतन योजना	82180000	00	00	0.00

18.	3202016	त्वरित आर्थिक विकास योजना–मार्ग निमार्ण (इण्टलाकिंग टाइल्स) एवं जलनिकासी	170600000	00	00	0.00
19	3202017	त्वरित आर्थिक विकास योजना–मार्ग प्रकाश व्यवस्था	62500000	00	00	0.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में वित्तीय वर्ष 2020–21 की तुलना में कार्य विशेष निधियों के उपरोक्त लेखों में कम व्यय हुआ है। यह कमी हृदय योजना ,चौदहवॉ वित्त आयोग अनुदान जायका योजना, स्वच्छ भारत मिशन ,अमृत योजना ,नगर निगम अनुदान निधि (सी.एस.आर फण्ड आदि) इत्यादि के कारण है।

इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 में कार्य विशेष निधियों के अन्तर्गत उपरोक्त मदों के लिये आवंटित कुल बजट तखमीना 2903043000 के विरूद्ध मात्र 50.67 प्रतिशत धनराशि का ही उपयोग किया गया। नगर निगम की अच्छी छवि के लिए कार्य विशेष निधियों के निर्धारित निधियों के समुचित उपयोग पर ध्यान दिया जाना अपेक्षित है । इस ओर शासन और नगर निगम प्रशासन का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

8 **2022–23 में उठाई गयी विशेष/साधारण आपत्तियों तथा नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों को समय–समय पर भेजा गया पत्र।**

(1) भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के आयोजन हेतु स्वच्छ भारत मिशन निधि में पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करके स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे वर्कशाप, सार्वजनिक क्षेत्रों तथा पार्को में स्वच्छता के प्रति जनजागरूकता कार्यक्रम चलाने जाने के लिए अनेकों प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। शहीद उद्यान पार्क में स्वच्छता हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम, सुन्दरीकरण हेतु दीवालों पर वाल पेंटिग , वाल राइटिंग तथा चित्रकारी कराये जाने हेतु कई फर्मो को स्वेच्छानुसार कार्य आवंटित किया गया। ई–टेन्डरिंग न कराकर वाराणसी स्मार्ट सीटी द्वारा कराये गये ई–निविदा की दर को आधार मानकर फर्म को कार्य आवंटित किया गया जिनका विवरण निम्नवत् है:–

क0सं0	फर्म का नाम	कार्य का विवरण	भुगतान की धन	दिनांक
1	हम भारत है, जैतपुरा, वाराणसी	कूडाघरों पर वालपेन्टिंग /वालराइटिंग।	4,06,137.00	28.07.2021
2	बजन विकास एव कल्याण समिति, वाराणसी	दशाश्वमेध जोन में स्वच्छता हेतु जनजागरूकता संबंधी समस्त कार्य।	93,100.00 5,00657.00	24.07.2021 24.07.2021
3	कैरियर कन्सन्सटेन्ट	भेलूपुर जोन में स्वच्छता	4,13,760.00	24.07.2021
			योग 14,13,654.00	

स्वच्छ भारत मिशन के कार्यो को अपर नगर आयुक्त के संलग्न पत्र के अनुसार निर्धारित मानक तथा उल्लिखित शर्तो का अनुपालन करते हुए पूर्ण किया जाना था। उक्त कार्य ई–निविदा क माध्यम से कराया गया होता तो कई फर्मो के भाग लेने से निगम को प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ प्राप्त होने के साथ–साथ अच्छी गुणवत्ता के कार्य भी सम्पन्न होते। वाल पेन्टिंग की दर स्मार्ट सिटी द्वारा कराये गये ई–निविदा से प्राप्त दर रू0 51 प्रति वर्ग फीट के आधार पर उक्त फर्मो को कार्य आवंटित किया गया। स्मार्ट सिटी द्वारा ई–निविदा आमंत्रित किये जाने से सम्बन्धित दर की सूची/प्रपत्र किसी भी पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया जिससे स्मार्ट सिटी के दर का वास्तविकता स्पष्ट हो सके। कार्यो का सत्यापन तत्कालीन प्रभारी अधिकारी (आई.ई.सी.)/सफाई एवं खाद्य निरीक्षक द्वारा किया गया जबकि तकनीकी कार्यो की जॉच तकनीकी कार्मिक से ही कराया जाना चाहिए। किसी भी कार्य का सत्यापन तकनीकी कार्मिक से न कराये जाने के कारण कितने फीट का कार्य किया गया? तथा कार्यो की गुणवत्ता कैसी रही? उसका क्रास वेरीफिकेशन नहीं किया जा सका और फर्म द्वारा प्रस्तुत देयकों को ही आधार मानकर प्रमाणित करके भुगतान कर दिया गया। कार्यो की गुणवत्ता तथा माप पुस्तिका में कार्यो का विवरण अकिंत करके फर्म के कार्यो का भौतिक सत्यापन कराने के बाद ही भुगतान किये जाने की अनुशंसा प्रभारी द्वारा की जानी चाहिए थी। ऐसा न किए जाने से निगम को निःसन्देह आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी। स्वच्छ भारत मिशन फंड से अब तक कराये गये समस्त कार्यो की जॉच तकनीकी समिति गठित करके किया जाना नगर निगम हित में उचित प्रतीत होगा अन्यथा निकट भविष्य में स्वच्छ भारत मिशन फंड में व्यापक पैमाने पर अनियमितता किये जाने की संभावना से इनकार नही किया जा सकता है। उपरोक्त के अतिरिक्त यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि केन्द्रांश अथवा राज्यांश द्वारा जारी फंड का कभी भी किसी भी स्त र की जॉच कराये जाने की संभावना उत्पन्न हो सकती है इसलिए ऐसे कार्यो के आवंटन से लेकर भुगतान प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शी तरीके से अपनाया/पूर्ण कराया जाना नगर निगम हित में उचित होगा। ऐसी संभावना हो सकती है कि एक ही कार्य को अलग–अलग विभागों जैसे जो कार्य स्मार्ट सिटी द्वारा कराया जा रहा है या कराया गया है उसी कार्य को स्वच्छ भारत मिशन योजना के अन्तर्गत जलकल विभाग तथा परियोजना अधिकारी(डूडा) के अतिरिक्त नगर निगम द्वारा चुनिन्दा ठेकेदारों/फर्मो को कोटेशन पैटर्न पर पत्रावलियों को तैयार करके सिर्फ फंड का उपयोग किये जाने की मंशा से कार्य कराये जाने की स्थिति हो सकती है। यदि कोई विशेष प्रकृति का कार्य निगम हित में अतिआवश्यक हो तो उन कार्यो/पत्रावलियों में इस आशय की टिप्पणी /आख्या प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है कि प्रस्तुत कार्य अन्य विभाग द्वारा न तो प्रस्तावित किया गया है न ही किसी अन्य फंड से इसके पूर्व कराया गया है। इस आशय की टिप्पणी/आख्या संबंन्धित पत्रावलियों पर अंकित कराकर ही अग्रेतर कार्यवही किया जाना नगर निगम हित में उचित होगा। संबधित पत्रावलियों की जॉच में यह भी पाया गया कि कार्य कराये जाने के पूर्व तथा बाद का फोटोग्राफ कुछ पत्रावली में संलग्न पाया गया और कुछ पत्रावलियों नही पाया गया। पत्रावलियों के परीक्षण से ऐसा प्रतीत होता है कि फंड का सिर्फ उपयोग किये जाने की मंशा में चुनिन्दा फर्मो को पहले कार्य आवंटित किया जाना बाद में संपूर्ण औपचरिकता को पूर्ण कराकर भुगतान कराया जाना प्रतीत होता है जो अनियमित तथा अन्यथा आशय का द्योतक है।

अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत प्रकरण लेखा नियमावली के नियम 76 के अन्तर्गत आपके व्यक्तिगत जानकारी में इस आशय से लाया जा रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन मद से सम्पादित होने वाले बहुआयामी कार्यो की जॉच कराये जाने के बाद ही संबंधित फर्मो के देयकों का भुगतान किया जाना नगर निगम हित में उचित होगा। (विशेष आपत्ति संख्या 01डी/16/मु.न.ले.प. /2022–23दिनांक 20.04.2022)

2.सामान्य अभियंत्रण विभाग

I. चौक वार्ड अन्तर्गत वार्ड सं0 84 गढवासी टोला के नील कण्ठ पैलन से कचौड़ी गली–खोवा गली के जगह–जगह इण्टर लाकिंग मरम्मत तथा चौका मरम्मत के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली के परीक्षण में पाया गया कि उक्त कार्य का आगणन दर जी.एस.टी. सहित 98687 रू है जबकि नगर निगम द्वारा आइटम वाइज स्वीकृत दर अनुबन्ध में उपर्युक्त कार्य का जी.एस.टी सहित अनुमानित लागत 40715. है। उपर्युक्त कार्य के आगणन दर एवं अनुबन्ध के अन्तर को स्पष्ट करते हुए सम्परीक्षा विभाग को अवगत कराना अपेक्षित है। (साधारण आपत्ति संख्या 1डी/16/मु.न.ले.प./2022–23 दिनांक 25.07.2022)

II. सिगरा वार्ड रूद्राक्ष शहीद उद्यान पार्क ,हर्बल पार्क पर पुट्टी व रेलिंग के पेंटिग के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली के परीक्षण में पाया गया कि मा0 प्रधानमंत्री भारत सरकार के सम्भवित आगमन दिनांक 15.07.2021 के दृष्टिगत कार्य तात्कालिक प्रकृति का था जिसे नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 117–6 (ख) के अर्न्तगत स्वीकृति दी गयी किन्तु पत्रावली में संलग्न कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के अनुसार कार्य 06.11.2021 को प्रारम्भ होकर दिनांक 20.11.2021 को समाप्त हुआ। उपर्युक्त प्रकरण में नगर निगम अधिनियम की धारा 117–6(ख) का उद्देश्य पूर्ण होता प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः उपर्युक्त मामले में कृत कार्यवाही से संम्परीक्षा को अवगत कराना अपेक्षित है। (साधारण आपत्ति संख्या 02डी/16/मु.न.ले.प./2022–23,दिनांक 24.08.2022)

III. नरायणपुर वार्ड न0 17 मा0 लक्ष्मणपुर में म0न0–शि05/125 –के से म0न0–शि0 05/119– ए–के–1 होते हुए सुरेश चौहान के मकान तक इण्टर लाकिंग द्वारा गली निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली में कार्यदायी एजेंसी को दिनांक 08.01.2021 को कार्यादेश निर्गत करते हुए एक माह में कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया किन्तु कार्यदायी एजेंसी द्वारा निर्धारित समय में कार्य पूर्ण नहीं किया एवं दिनांक 05.03.2021 को पत्र देकर सूचित किया गया कि कार्यस्थल पर भूमि विवाद एवं कोरोना लॉकडाउन के कारण कार्य में विलम्ब हो रहा इसलिए 30.07.2021 तक समय वृद्धि की मॉग की गयी। कार्यदायी एजेंसी द्वारा दिनांक 07.02.2021 के पूर्व ही सूचना देना अनिवार्य था एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा विलम्ब से कार्य कराने हेतु कार्यदायी एजेंसी पर अर्थदण्ड आरोपित करना अपेक्षित था। अतः उपर्युक्त के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से संपरीक्षा को अवगत कराना अपेक्षित हैं। (सा0 आ0 संख्या 03 डी/16/मु.न.ले.प./2022–23 दिनांक 27.08.2022)

IV. कार्य का नाम वार्ड स0 –59 रानीपुर न्यु कालोनी में N-9\40-B-F-1 से N-9]40 K-3B चौका लगाने का कार्य धनांक 78745/ ठेकेदार / फर्म का नाम– अमन कंस्ट्रक्शन का कार्य की पत्रावली के सम्परीक्षा के क्रम में पाया गया कि कार्यस्थल तथा कार्य का फोटो कार्यादेशानुसार नही लगा हैं। उक्त बिन्दु पर स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया जाना उपेक्षित है। (सा0 आ0 संख्या 04डी/16/मु.न.ले.प./2022–23,दिनांक 27.08.2022)

V. कार्य का नाम–मो0 सलेमपुरा में A-25\20 मस्जिद व A25\10 खोदी गई ट्रेंच की मरम्मत का कार्य धनांक रू0 434852/ फर्म का नाम शंकर कंस्ट्रक्शन का कार्य की पत्रावली की सम्परीक्षा के क्रम में पाया गया कि पत्रावली के पृष्ठ संख्या 04 पर अधिशासी अभियंता द्वारा ठेकेदार/फर्म पर रूपये 2000/–का अर्थदंड तथा पृष्ठ 52 पर रूपये 4000/ का अर्थदंड लगाया गया है। जिसकी वसूली ठेकेदार को किये गये भुगतान में से नही की गई है। जिसकी भी वजह से वसूली नहीं कि गई। परन्तु नगर निगम की आर्थिक क्षति स्पष्टत रूप से परिलक्षित है। (सा0 आ0 संख्या 05 डी/16/मु.न.ले.प./2022–23,दिनांक 27.08.2022)

VI. वार्ड स0 में मो सराम– नदंन में 34/46– –2 से श्री मंजू के मकान तक होते हुए गंगा साह तक

चौका रिसेटिंग का कार्य धनांक रूपयें 89731/ ठेकेदार/फर्म का नाम अमन कंस्ट्रक्शन कार्य की पत्रावली के सम्परीक्षा क्रम में पाया गया कि ठेकेदार द्वारा लाकडाउन की वजह से समयवृद्धि की मांग की गई है जबकि कार्यादेश के अनुसार कार्य दिनांक 13.03.2020 को समाप्त करना था जो लाकडाउन से पूर्व की तिथि है, ऐसे में समयवृद्धि देय नहीं हेाना चाहिए था। ठेकेदार द्वारा स्थल पर विवाद को भी वजह बताया गया है परंतु पृष्ठ 2 पर विभाग द्वारा COVID को वजह बताया गया है जो परस्पर विरोधा भासी हैं।(सा0 आ0 संख्या 06 डी/16/मु.न.ले.प./2022–23 दिनांक 27.08.2022)

VII. सिगरा वार्ड स0 9 लहरतारा में निर्मल नगर कालोनी की सड़क का पैच मरम्मत का कार्य धनांक –368069/– फर्म ठेकेदार का नाम में0 शकंर कंस्ट्रक्शन के कार्य की पत्रावली की संपरीक्षा क्रम में पाया गया कि कार्य के अनुबंध की प्रक्रिया में ठेकेदार द्वारा रूपये 26000/मात्र की धनराशि बतौर जमानत जमा की गई है जबकि जमानत धनराशि 50539.40 रूपये जमा करायी जानी चाहिए थी। इस स्थिति में रूपये 24539.40 कम की धनराशि बतौर जमानत जमा कराई गई जो गंभीर आपत्ति की श्रेणी में आता है। (सा0 आ0 संख्या 07डी/16/मु.न.ले.प./2022–23 दिनांक 27.08.2022)

VIII. चेक संख्या –7 दिनांक 02.03.2022 धनांक 85385 के व्यय प्रमाणक से संबंधित पत्रावली की संपरीक्षा में पाया गया कि कोतवाली जोन अन्तर्गत वार्ड सं0 44 कामेश्वर महादेव में मो0 बंगाली बाड़ा में दुर्गा पूजा के अवसर पर K– 43/31A,K-43/62 के पास एवं K–43/29 से 26 तक और K 43/62 से 69 तक चौका पत्थर मरम्मत का कार्य की पत्रावली में माप पुस्तिका में कार्य प्रारम्भ की तिथि 24.09.2019 तथा समाप्ति की तिथि 16.01.2020 दर्ज है। जबकि कार्यादेश दिनांक 13.01.2020 को जारी हुआ है। स्पष्ट है पत्रावली में तिथियों के साथ छेड़छाड़ की गई हैं तथा ठेकेदार से कार्य करने की लिखित सहमति भी नही की गई है। जो बेहद ही गंभीर एवं आपत्ति जनक हैं। (सा0 आ0 संख्या 08डी/16/मु.न.ले.प./2022–23 दिनांक 27.08.2022)

IX. सारनाथ वार्ड सं0 26 अन्तर्गत सारंग चौराहा से अशोक बिहार फेस –2 तक नाला सफाई धनांक 59531 ठेकेदार का नाम – मेसर्स महादेव कंस्ट्रक्शन विषयक पत्रावली के सम्परीक्षा में पाया गया कि माप पुस्तिका तथा पत्रावली में कार्य प्रारम्भ की तिथि दिनांक 06.06.2019 दर्ज है तथा कार्यादेश दिनांक 07.07.2019 को जारी हुआ है। यह प्रकरण यह दर्शाता है कि तिथियों के साथ छेड़छाड़ की गई है। (सा0 आ0 संख्या 09 डी/16/मु.न.ले.प./2022–23 दिनांक 27.08.2022)

X.चेक सख्या 04 दिनांक 01.12.2021 धनांक रू 171061 के व्यय प्रमाणक से संबंधित पत्रावली की सम्परीक्षा क्रम में पाया गया कि वार्ड सं0 55 मों0 अस्सी में B1/157, B 1/122 व B1/144 तथा B2/225 के पास गली निर्माण के कार्य में ठेकेदार/फर्म में0 मोहनलाल द्वारा COVID लाकडॉउन का हवाला देकर समयवृद्धि की मांग की गई है। जबकि कार्यादेश लाकडाउन समाप्ति के दो माह पश्चात जारी हुआ है। ऐसे में समयवृद्धि देना उचित प्रतीत नहीं होता है। (सा0 आ0 संख्या 10डी/16/मु.न.ले.प./2022–23 दिनांक 27.08.2022)

XI. वार्ड सं09 में सरायनंदन में –K13/11–K सेn-13\17-D-1-5M होते हुए N-13\11-H तक चौका रिसेटिंग का कार्य धनांक रू 95744 ठेकेदार/फर्म मे अमन कन्स्ट्रक्शन के कार्य को पत्रावली के संपरीक्षा क्रम में पाया गया कि कार्यस्थल तथा कार्य की फोटो कार्यादेशानुसार नहीं है। (साधारण आपत्ति संख्या 11डी/16/मु.न.ले.प./2022–23, दिनांक 27.08.2022)

XII. वा0 स0 –1, दिनांक 01.09.2021, धनांक 93998/– के व्यय प्रमाणक से संबंधित पत्रावली की सम्परीक्षा में पाया गया कि पाण्डेयपुर वार्ड सं0 16 मो0 टकटकपुर पंचकोशी महाबीर ग्रीन्स अपार्टमेंट अशोक

मौर्या के मकान तक सड़क पटरी पर इंटरलाकिंग कार्य में जारी कार्यादेश में कार्य दिनांक 07.11.2019 को प्रारम्भ कर 15 दिन में पूर्ण करना था परन्तु ठेकेदार/फर्म आर.के इन्टरप्राइजेज द्वारा दिनांक 16.05.2020 को समयवृद्धि की मांग की गई। जो कार्य नवम्बर 2019 में समाप्त हो जाना चाहिए था उसके लिए समयवृद्धि 6 महीने बाद मांग हो गई और 15 दिन के काम के लिए 6 महीने की समयवृद्धि भी दी गई। जबकि समयवृद्धि केवल स्वविवेक पर आधारित होता है।(सा0 आ0 संख्या 12 डी/16/मु.न.ले.प. /2022–23, दिनांक 27.08.2022)

XIII. वार्ड न0 36 मो0 नक्खीघाट में J35/67 से J35/67 A–25 होते हुए J 35/67 A–3 तक चौका रिसेटिंग के कार्य में ठेकेदार /फर्म आर0 के0 इण्टर प्राइजेज द्वारा समयवृद्धि की मांग की गई है जिस पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्थलीय परीक्षण कर तथ्यात्मक आख्या मांगी गयी है, परन्तु जो आख्या संबंन्धित द्वारा दी गई है उसका आधार केवल ठेकेदार के निवेदन पत्र को बताया गया है जो वारिष्ठ अधिकारियों के निदेर्शो के अवज्ञा के साथ–साथ नगर निगम के आर्थिक क्षति की तरफ भी संकेत देता है। (सा0आ0 संख्या 13डी/16/मु.न.ले.प./2022–23दिनांक 27.08.2022)

XIV. चेक संख्या –77, दिनांक 15.06.2022, धनांक रु0 313769/ के व्यय प्रमाणक से संबंधित पत्रावली के सम्परीक्षा क्रम में पाया गया कि वार्ड 8 भवन संख्या A38/42–C–1–K से हर्ष इण्टर कालेज होते हुए A38/42–C –1–X–5 तक क्षतिग्रस्त चौके को इंटर लाकिंग टाइल्स लगाने के क्रम में धनराशि 331717/ रूपये मात्र का व्यय किया गया । उक्त पत्रावली में निम्न कमियॉ पाई गई।

निर्धारित जमानत धनराशि रूपये 33200 से 1900 रूपये कम ठेकेदार से जमा कराया गया, जो कि नियम विरूद्व है। कार्य की गुणवक्ता को सुनिश्चित करने हेतु पयुक्त हुए इंटरलाकिंग टाइल्स की लैब टेस्टिंग रिपोर्ट पत्रावली मे संलग्न नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि शासनादेशानुसार निर्धारित क्म्प्रेसिव स्ट्रेंथ का अनुपालन नहीं कराया गया।(सा0 आ0 संख्या 14डी/16/मु.न.ले.प./2022–23 दिनांक 27.08.2022)

XV.मैनडेटरी टेस्ट से सम्बनिधत अभिलेख पत्रावलियों में न लगाया जानाः–

निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा निर्गत पत्रांक T.C/314/2020–21, दिनांक 06.01.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पत्र में नगरीय निकायों द्वारा निष्पादित किये जा रहे विभिन्न प्रकार के कार्यो एंव आपूर्ति हेतु तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति ई.एम.डी . वापसी व मैनडेटरी टेस्ट इत्यादि के पपत्र के सम्बन्ध में प्रोफार्मा निर्धारित किया गया है। जिसमें मैनडेटरी टेस्ट हेतु प्रपत्र का भी गठन किया गया हैं, उपरोक्तानुसार गठित किये गये प्रोफार्मा को नियमानुसार प्रयोग में लाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गये तथा मैनडेटरी टेस्ट के बिना किसी भी कार्य का भुगतान ना किया जाए का उल्लेख किया गया है। सामान्य अभियंत्रण विभाग द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन कराया जाना प्रतीत नही हो रहा है। सम्परीक्षा में भुगतान पश्चात प्राप्त पत्रावलियों में मैनडेटरी टेस्ट रिपोर्ट संलग्न नही है। अतः उपरोक्त में स्थिति स्पष्ट कराते हुए उपरोक्त पत्र में उल्लिखित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना अपेक्षित है। (पत्रांक 38 डी/16/मु.न.ले.प./2022–23 दिनांक 09.12.2022)

XVI. सामान्य अभियन्त्रण विभाग के स्टोर से संबंधित अभिलेखों जैसे स्टाक बुक,इन्डेन्ट बुक,सामानों से संबंधित पत्रावलियों एवं अन्य अभिलेखों का परीक्षण अभी तक नही कराया गया जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 समाप्त हुए दो माह हो चुके है। स्टोर से संबंधित अभिलेखों का परीक्षण नियमित रूप से न कराये जाने के कारण यह स्पष्ट नही हो पा रहा है कि स्टोर में क्रय किये गये सामानों की स्टाक बुक में प्रविष्टि तथा उनका उपयोग/वितरण ठीक ढंग से किया जा रहा है अथवा नही? अभिलेखों का नियमित रूप से परीक्षण न कराया जाना लेखा नियमावली के नियम 75(1)(2)(3) का उल्लघन तथा संबंधित स्टोर

कीपर का अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही तथा उदासीनता बरते जाने का द्योतक है। अतः ऐसी स्थिति में सामान्य अभियंन्त्रण विभाग के स्टोर का नियमित रूप से परीक्षण कराये जाने हेतु स्टोर कीपर को निर्देशित करने का कष्ट करें। (पत्रांक 16(1)/16/मु.न.ले.प./2022–23 दिनांक 28.05.2022)

XVII. निर्माण कार्य में प्रयुक्त किये जा रहे गिट्टी ,बालू ग्रेनाइट सैण्ड, स्टोन आदि पर रायल्टी काटे जाने का प्राविधान शासनदेश संख्या 243/86–2016–200/77 टी–सी 11 लखनऊ दिनांक 19.01.2016 में किया गया है। नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप पर दिये गये विवरणानुसार विभिन्न मदों के निर्माण कार्य के बिलों से रायल्टी की कटौती की जानी चाहिए। उक्त रायल्टी के समायोजन हेतु रवन्ना एम.एव.–11 संलग्न किया जाता है कि कम्प्यूटरीकृत/फोटो स्टेट प्रति रहती है तथा उक्त का प्रयोग एक निर्माण कार्य के साथ ही एक अधिक निमार्ण कार्यो में किए जाने की सम्भावना रहती है। जिससे रायल्टी के एम.एम.–11 से प्राप्त खनिज का कुल कितने निर्माण कार्यो में उपभोग किया गया, स्पष्ट नही हो पाता है। अतः एक निर्माण कार्य में प्रयुक्त खनिज के मात्रा की सूची बनाने के साथ रवन्ना एम.एम.11 से प्राप्त खनिज किन किन निर्माण कार्यो में प्रयुक्त किया गया था, का विवरण बनाया जाना अपेक्षित है। जिससे कुल समायोजन की जाने वाली रायल्टी का सत्यापन हो सकें। (पत्रांक 13 डी/16/मु.न.ले.प./2022–23 दिनांक 24.05. 2022)

XVIII सामान्य विभाग पत्रावली के परीक्षण में विदित हुआ कि कार्य का आगणन धनराशि रू.9,98,000/– की स्वीकृति नगर आयुक्त से प्राप्त कर राज्यवित्त आयोग (पार्षद कोटा) निधि से कार्य का उल्लेख किया गया है, किन्तु बजट सील नहीं लगाया गया। उपरोक्त स्थल पर पूर्व में कार्य कब सम्पन्न हुए थे, के सम्बन्ध में आख्या विभाग द्वारा नहीं दी गयी। कार्य से पूर्व संलग्न फोटोग्रॉफ में गलियों में चौका लगा हुआ दिखाया गया है। अतः काय पूर्ण होने का विवरण वर्ष के साथ नहीं किया जाना नियमानुसार नहीं हैं। 2–कार्य निविदा के उपरांन्त मेसर्स सौरभ इन्टरप्राइजेज को 15 प्रतिशत कम आगणन धनांक पर धनराशि रू. 8,48,276/– की स्वीकृति दी गयी तथा कार्यालय आदेश संख्या – 26/को0जो0/20–21, दिनांक –06.02.2024 निर्गत करते हुए 03 माह की अवधि मे कार्य पूर्ण करने हेतु आदेशित किया गया। कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र मे कार्य की सम्भावित तिथि की प्रविष्टि नहीं की गयी। विभागीय नोट में दिनांक –05.08.2021 को कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि दर्शाते हुए अन्तिम भुगतान कराया गया। कार्य निर्धारित समय 03 माह के बजाय 06 माह में पूर्ण हुआ। इस प्रकार ठेकेदार को समयवृद्धि अर्थदण्ड लगाये बगैर भुगतान कराया जाना नियमसंगत नहीं है।

3–रायल्टी चार्ट के अनुसार कार्य में 27.8 मी 2स्टोन चौका प्रयुक्त हुआ तथा रू. 278 की रायल्टी उक्त मद में देय था किन्तु पत्रावली में फार्म एम.एम.–11 संलग्न नहीं होने से स्टोन चौका के सम्बन्ध में आपूर्ति/रायल्टी की स्थिति अस्पष्ट रहीं। अतः रायल्टी धनराशि **रू.**1390**/–** जमा कराया आना अपेक्षित है। (पत्रांक डी/16/मु.न.ले.प./2022–23 दिनांक 11.04.2022)

<u>3.आलोक विभाग</u>

I.आदमपुर जोन अन्तर्गत कोनिया एवं जैतपुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर समुचित प्रकाश व्यवस्था कराये जाने से सम्बन्धित पत्रावली के परीक्षण में निम्न आपत्तियॉ प्राप्त हुयीं।पत्रावली में संलग्न माप पुस्तिका पर सक्षम प्राधिकारी का मुहर सहित हस्ताक्षर उपलब्ध नही है। पत्रावली में कृत कार्य से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स संलग्न नहीं है। कार्य से सम्बन्धित कार्यादेश दिनांक 24.12.2021 को निर्गत किया गया जबकि अनुबंध दिनांक 25.01.2022 को किया गया। पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही है जिससे स्पष्ट नही हो रहा कि कार्य कब प्रारम्भ हुआ और कब समाप्त हुआ। अतः उपर्युक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत प्रथम दृष्टया कार्य का सम्पन्न होना संदेहास्पद प्रतीत होता है। इसलिए उपर्युक्त के सन्दर्भ में कृत कार्यवाही से

सम्परीक्षा को अवगत कराना अपेक्षित है। (सा0 आ0 संख्या 25डी/16/मु.न.ले.प./2022–23 दिनांक 21.10.2022)

II. फर्म रूद्रा एसोसिएट्स 13 व 14 दिसम्बर 2021 को मा0 प्रधानमंत्री जी भारत सरकार के वाराणसी आगमन के दृष्टिगत राजघाट फ्लाई ओवर से बसन्ता कॉलेज मार्ग पुराना पुल से सरैया मार्ग, शैलपुत्री मार्ग पर समुचित प्रकाश व्यवस्था का कार्य कराये जाने से सम्बन्धित पत्रावली के परीक्षण में निम्न आपत्तियॉ प्राप्त हुयी। पत्रावली में संलग्न माप पुस्तिका पर कार्य आरम्भ करने की तिथि एवं सक्षम प्राधिकारी के तिथि एवं मुहर सहित हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं है। पत्रावली में कार्य से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स संलग्न नहीं है। कार्य 13 दिसबंर 2021 को पूर्ण कराया जाना आवश्यक था जबकि कार्यादेश दिनांक 16.12.2021 को एवं कार्य का अनुबंध दिनांक 25.01.2022 को सम्पन्न हुआ। **उपर्युक्त** बिन्दुओं के दृष्टिगत प्रथम दृष्टया कार्य का पूर्ण होना संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त के सन्दर्भ में कृत कार्यवाही से सम्परीक्षा को अवगत कराना अपेक्षित है। (सा0 आ0 संख्या 26/16/मु.न.ले.प./2022–23 दिनांक 21.10.2022)

III. वार्ड न0–30अकथा अन्तर्गत पचंकोशी चौराहा पर 01 अदद सेमी हाईमास्ट लगाये जाने सम्बन्धी पत्रावली के परीक्षण में निम्न त्रुटियॉ प्राप्त हुयीं। पत्रावली में माप पुस्तिका संलग्न नही हैं। पत्रावली में कार्य से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स संलग्न नही है। अनुबंध पत्र सम्बन्धी अभिलेख संलग्न नहीं है। सामग्री आपूर्ति सम्बन्धी अभिलेख संलग्न नहीं है। उपर्युक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत कार्य का पूर्ण होना प्रथम दृष्टया सन्देहात्मक प्रतीत होता है। अतः कृत कार्यवाही से सम्परीक्षा को अवगत कराना अपेक्षित है।(सा0 आ0 संख्या 27डी/16/मु.न.ले.प./2022–23 दिनांक 14.11.2022)

IV. वार्ड सं0 48 बजरडीहा में 95 अदद एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट 70 वाट लगाकर समुचित प्रकाश व्यवस्था हेतु आगणन रू 403560/ की स्वीकृति नगर आयुक्त महोदय से प्राप्त कर मेसर्स शिखर इण्टर प्राइजेज को कार्य आवंटित किया गया । उपरोक्त कार्य पर कुल धनराशि 403501/का व्यय किया गया । उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावली में निम्न कमियॉ पायी गयी जिसका निराकरण कराया जाना अपेक्षित है

(क) वित्तीय वर्ष 2021 –22 की वार्षिक न्यूनतम निविदा स्वीकृत दर की प्रतिलिपि पत्रावली में संलग्न नहीं कराये गए। कार्य मई 2022 में स्वीकृत कराया गया है। अतः उक्त दरों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2022–23 में कार्य कराने हेतु सक्षम स्तर से स्वीकृत प्राप्त की गयी ? नयी दरों का निर्धारण क्यों नही किया गया ? (ख) कार्यादेश को पृथक से निर्गत न करके अनुबंध सूचना पत्र को ही अनुबंध में कार्यादेश मान लिया गया जो अनियमित है। कार्यादेश में कार्य अवधि का निर्धारण क्यो नही किया गया । MB में कार्य प्रारम्भ तिथि ,कार्य समाप्ति तिथि का उल्लेख क्यो नही किया गया।

(ग) MB में भवन संख्या के साथ कार्य स्थल को भी अंकित किया जाना चाहिए। कार्य स्थल की सूची में अंकित भवन संख्या तथा MB में अंकित भवन संख्या में भिन्नता है।

(घ) संलग्न फोटोग्राफ 58 कार्यस्थलों का ही संलग्न किया गया जिसमें अस्पष्टता है। शेष 19 लाइटों की स्थिति अस्पष्ट है। कार्योपरान्त भवन संख्या/कार्यस्थलानुसार सूची पत्रावली में अनुरक्षित क्यों नही किया गया।

(ड़) 95 कार्यस्थलों की सूची तथा MB में अंकित भवन संख्या में भिन्नता है। कार्य स्थल को परिवर्तन का आधार स्पष्ट करायें। (पत्रांक 43डी/16/मु.न.ले.प./2022–23, दिनांक 06.01.2023)

V.आलोक विभाग के स्टोर से संबंधित अभिलेखों जैसे स्टाक बुक,इन्डेन्ट बुक, सामानों से संबंधित पत्रावलियों एवं अन्य अभिलेखों का परीक्षण अभी तक नहीं कराया गया जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 समाप्त हुए दो माह हो चुके है। स्टोर से संबंधित अभिलेखों का परीक्षण नियमित रूप से न कराये जाने के

कारण यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि स्टोर में क्रय किये गये सामानों की स्टाक बुक में प्रविष्टि तथा उनका उपयोग/वितरण ठीक ढंग से किया जा रहा है अथवा नही? अभिलेखों का नियमित रूप से परीक्षण न कराया जाना लेखा नियमावली क नियम 75 (1)(2)(3) का उल्लघन तथा संबंधित स्टोर कीपर का अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही तथा उदासीनता बरते जाने का द्योतक है।

अतः ऐसी स्थिति में आलोक विभाग के स्टोर का नियमित रूप से परीक्षण कराए जाने हेतु स्टोर कीपर को निर्देशित करने का कष्ट करें।(पत्रांक 17 डी/16/मु.न.ले.प./2022–23,दिनांक 28.05.2022)

4 कर विभाग

I. भवन सं0 – D-59\376-P-11-D-KH शिवपुरवा (दशाश्वमेध) से संबंधित पत्रावली के सम्परीक्षा में भवन का वार्षिक मूल्यांकन निम्न विधि से किया गया–(5400X80%x12x0.80-32.5%=27,993 रु) जो दिनांक 01.04. 2021 से लागू है, जबकि पत्रावली में संलग्न कम्प्यूटराइज्ड असेसमेंट अभिलेख के अनुसार कारपेट एरिया 1700 वर्ग फीट भवन तीन मंजिला और भवन की अवधि दस वर्ष से कम है। इस अनुसार भवन का वार्षिक मूल्यांकन निम्न विधि से किया जाना अपेक्षित था। (5100x80%x12x0.80-25%=29376 रु) अतः संबंधित कर निरीक्षक द्वारा भवन के वार्षिक मूल्यांकन में स्पष्ट त्रुटि प्रतीत होती है, जिससे नगर निगम को 1383 रू की वार्षिक क्षति पहुॅच रही है, जो नगर निगम के आर्थिक हितों के प्रतिकूल है। अतः उक्त के संबंध में कृत कार्यवाही से सम्परीक्षा विभाग को अवगत कराए। (सा0 आ0 संख्या 028डी/16/मु.न.ले.प./2022–23 दिनांक 11.12.2022)

II. जोन (आदमपुर, वरूणापर, दशाश्वेध,कोतवाली,भेलूपुर,) के कर सम्बन्धित विवरण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में :–

वित्तीय वर्ष 2022–23 में नगर निगम वाराणसी आदमपूर जोन में गृहकर , नामांतरण ,भवन मूल्याकंन एव अन्य के तहत निर्धारित किए गए आय के लक्ष्य तथा संबंधित वित्तीय वर्ष में वास्तविक प्राप्त आय की बिंदुवार आख्या अपेक्षित है :–(1)वित्तीय वर्ष 2022–23 में जोन की चालू मांग।

(2).वित्तीय वर्ष 2022–23 से पूर्व कुल अवशेष धनराशि ।

(3).कुल भवन नामांतरण की सूची और पत्रावली।

जिसमें नगर निगम की वित्तीय आय की समुचित एव स्पष्ट लेखापरीक्षा करने मे किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो । अतः उपरोक्त उल्लेखित सूची तत्समय सम्बन्धित ज्येष्ठ लेखा परीक्षक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (पत्रांक 45डी/16/मु.ले.ले.प./2022–23 दिनांक – 28.01.2023)

5.विज्ञापन विभाग

I.वित्तीय वर्ष 2022–23 समाप्त होने में दो माह से भी कम अवधि शेष है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में विज्ञापन मद में प्राप्त आय से सम्बन्धित अभिलेखों को अद्यतन तिथि तक सम्परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराये गये जो आपत्तिजनक है। अतः वित्तीय वर्ष 2022–23 में विज्ञापन मद में प्राप्त आय से संबंधित समस्त अभिलेखों को परीक्षण में यथाशीघ्र उपलब्ध कराकर ऑडिट कराये जाने हेतु अपने अधीनस्थ किसी कर्मचारी को अविलम्ब नामित करने का कष्ट करें जिससे कि लेखा नियमावली के नियम –75,एवं नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा 144(1) का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। (पत्रांक 53 डी/16/16/मु.ले.प.प./2022–23 दिनांक 24.02.2023)

II. विज्ञापन विभाग में तत्कालीन नगर आयुक्त महोदय के आदेश के क्रम में तीन अकुशल श्रमिको को आउटसोंर्सिग पर रखा गया है। विज्ञापन विभाग में आउटसोर्सिग के भुगतान पत्रावली के परीक्षण में विदित हुआ कि नगर निगम द्वारा तीनो कार्मिको के वेतन भुगतान देयक में प्रत्येक माह के बिलों में EPF तथा ESIC

का भुगतान शहरी आजीविका केन्द्र को किया जा रहा है। जबकि पत्रावली में किसी भी माह की EPF और ESI चलान की प्रति संलग्न नही है।

अतः उक्त धनराशियों का शहरी आजीविका केन्द्र द्वारा जमा करने की पुष्टि कराने का कष्ट करें तथा सम्बन्धित चालानों को पत्रावली में संलग्न कराये ।(पत्रांक 39डी/16/मु.न.ले.प./2022–23 दिनांक 12.12.2022)

6.लाइसेन्स विभाग

I. वित्तीय वर्ष 2022–23 सामाप्त होने में दो माह से कम अवधि शेष है। उक्त वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित अभिलेखों को अद्यतन तिथि तक परीक्षण हेतु उपलब्ध नही कराया गया जो आपत्तिजनक है। अतः वित्तीय वर्ष 2022–23 से सम्बन्धित समस्त पत्रावलियॉ, लाइसेन्स पंजी, तथा मूल अभिलेख परीक्षण हेतु अविलम्ब प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है जिससे लेखा नियमावली, के नियम –75 एवं नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा –144 (1) का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।(पत्रांक 52(1) डी/16/मु.न.ले.प. /2022–23,दिनांक 24.02.2023)

II. वित्तीय वर्ष 2021–22 समाप्त हो चुका है। विभाग द्वारा गए वित्तीय वर्ष की सम्परीक्षा नही करायी गयी है। अतः निम्न सूचनाओं के साथ संबंधित समस्त अभिलेख सम्परीक्षा हेतु उपलब्ध करायें ।

1. कुल मदों का विवरण जिसमे अनुज्ञप्तियॉ जारी की गयी।
2. देशी शराब एवं विदेशी शराब की दुकानों को निर्गत लाईसेन्सों की सूची तथा उक्त सूची का सत्यापन जिला आबकारी अधिकारी वाराणसी द्वारा निर्गत (नगर निगम सीमा क्षेत्र) सूची से मिलान/सत्यापन किया गया अथवा नहीं?
3.संबंधित लाइसेन्स पंजिका
4.होटल, लॉज तथा गेस्ट हाउस आदि की लाइसेन्स शुल्क के वसूली की स्थिति का विवरण निम्नानुसार उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है :–

क0स0	वर्गीकरण (क0स0–4) के अनुसार आकार	संख्या	धनराशि

5. निजि चिकित्सालय/क्लिनिक इत्यादि लाइसेन्स शुल्क वसूली की स्थितिः–

क0स0	निजि चिकित्सालय/क्लिनिक का नाम पता सहित	संख्या	धनराशि

कृपया उपरोक्त समस्त विवरण के साथ संबंधित अभिलेख सम्परीक्षा हेतु उपलब्ध कराये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।(पत्रांक 11डी/16/मु.न.ले.प./2022–23 दिनांक 19.05.2022)

7.स्वास्थ्य विभाग

GEM के माध्यम से चयनित किये गये फर्म M/S NATURE GREEN TOOLS AND MACHINES PRIATE LIMITED द्वारा 195 हाथ ठेला आपूर्ति के पश्चात जेम इनवाइस दिनॉक 25.03.2022 का फर्म द्वारा प्रस्तुत किया गया। उक्त आपूर्ति के संबन्ध मे निम्न बिन्दुओ पर स्थिति स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है :–

(क)फर्म द्वारा 195 नग हाथ ठेला की आपूर्ति कब की गयी। यदि वित्तीय वर्ष 2021–22 मे आपूर्ति प्राप्त की गयी है तो वर्ष 2020–21 के स्टाक बुक मे आपूर्ति प्रविष्ट करने का औचित्य स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है।

(ख)स्टाक प्रविष्टि का सत्यापन स्टाक बुक से कराया जाए तथा पत्राक (1)/523/क.व। 2021–22 दिनॉक 25.02.22 के अनुरूप हाथ ठेला का वितरण (175 नग) तथा अवशेष 20 के उपयोग की स्थिति को स्पष्ट

कराया जाना अपेक्षित है।

(ग)आपूर्ति के पश्चात फोटो ग्राफ पत्रावली पर उपलब्ध नही होने से हाथ ठेला पर क्रमांक अंकन,स्वच्छ काशी सुन्दर काशी की लिखाई, पेन्ट इत्यादि की स्थिति स्पष्ट नही रहा ।

(घ) टेकनीकल जॉच रिपोर्ट स्पेसिफिकेशन के अनुरूप बिन्दुवार पृथक रूप से नही दी गयी । फर्म के फारमेट पर प्रभारी स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा तकनीकी जॉच किया सही पाया गया की आख्या दिया गया है । समस्त आपूर्ति (195 नग) की बिन्दुवार तकनीकी जॉच रिपोर्ट पत्रावली पर अनुरक्षित की जानी चाहिये थी । (पत्रांक 30डी / 16 / मु.न.ले.प. / 2022–23 दिनांक 23.08.2022)

II. GEM के माध्यम से चयनित किये गये फर्म M/S URBAN ENVIRONMENT SERVICE ORIVATE LIMITED द्वारा 195 नग रिक्शा ट्राली आपूर्ति के पश्चात जेम इनवाइस दिनांक 25.03.2022 को फर्म द्वारा प्रस्तुत किया गया। उक्त आपूर्ति के संबन्ध मे निम्न बिन्दुओ पर स्थिति स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है :–

(क).फर्म द्वारा 195 नग रिक्शा ट्राली की आपूर्ति कब की गयी। यदि वित्तीय वर्ष 2021–22 में आपूर्ति प्राप्त की गयी है तो वर्ष 2020–21 के स्टाक बुक मे आपूर्ति प्रविष्ट करने का क्या औचित्य है ऐसा किया जाना घोर अनियमितता किए जाने का द्योतक है।

(ख)स्टाक प्रविष्टि का सत्यापन स्टाक बुक से कराया जाए तथा पत्रांक (1) / 523 / क.व। 2021–22 दिनांक 25.02.2022 के अनुरूप रिक्शा ट्राली का वितरण (132 नग) तथा अवशेष 63 के उपयोग की स्थिति को स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है।

(ग)आपूर्ति के पश्चात फोटो ग्राफ पत्रावली पर उपलब्ध नही होने से रिक्शा ट्राली पर क्रमांक अंकन,स्वच्छ काशी सुन्दर काशी की लिखाई,पेन्ट इत्यादि की स्थिति स्पष्ट नही रहा ।

(घ)टेकनीकल जॉच रिपोर्ट स्पेसिफिकेशन के अनुरूप विन्दुवार पृथक रूप से नही दी गयी । फर्म के फारमेट पर प्रभारी स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा तकनीकी जॉच किया सही पाया गया की आख्या दिया गया है । समस्त आपूर्ति (195 नग) की बिन्दुवार तकनीकी जॉच रिपोर्ट पत्रावली पर अनुरक्षित की जानी चाहिये थी (पत्रांक 28डी / 16 / मु.न.ले.प. / 2022–23 दिनांक 22.08.2022)

III. स्वास्थ्य विभाग के स्टोर प्रथम एवं द्वितीय से संबंधित अभिलेखों जैसे स्टाक बुक, इन्डेन्ट बुक, सामानों से संबंधित पत्रावलियों एवं अन्य अभिलेखों का परीक्षण अभी तक नही कराया गया जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 समाप्त हुए दो माह हो चुके है। स्टोर से संबंधित अभिलेखों का परीक्षण नियमित रूप से न कराये जाने के कारण यह स्पष्ट नही हो पा रहा है कि स्टोर में कय किये गये सामानों की स्टाक बुक में प्रविष्टि तथा उनका उपयोग / वितरण ठीक ढंग से किया जा रहा है अथवा नही? अभिलेखों का नियमित रूप से परीक्षण न कराया जाना लेखा नियमावली के नियम 75(1)(2)(3) का उल्लघन तथा संबंधित स्टोर कीपर का अपने कर्तव्यों के प्रतिलापरवाही तथा उदासीनता बरते जाने का द्योतक है। अतः ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य विभाग के स्टोर प्रथम एवं द्वितीय का नियमित रूप से परीक्षण कराये जाने हेतु स्टोर कीपर को निर्देशित करने का कष्ट करें।(पत्रांक 14(1)डी / 16 / मु.न.ले.प. / 2022–23 दिनांक 28.05.2022)

<u>8.परिवहन विभाग</u>

I. परिवहन विभाग में स्टोर से संबंधित अभिलेखों जैसे स्टाक बुक, इन्डेन्ट बुक, सामानों से संबंधित पत्रावलियों एवं अन्य अभिलेखों का परीक्षण अभी तक नहीं कराया गया जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 समाप्त हुए दो माह हो चुके है। स्टोर से संबंधित अभिलेखों का परीक्षण नियमित रूप से न कराये जाने के कारण यह स्पष्ट नही हो पा रहा है कि स्टोर में कय किये गये सामानों की स्टाक बुक में प्रविष्टि तथा उनका उपयोग / वितरण ठीक ढंग से किया जा रहा है अथवा नहीं? अभिलेखों का नियमित रूप से परीक्षण न कराया जाना लेखा नियमावली के नियम 75 (1) (2)(3) का उल्लघन तथा संबंधित स्टोर कीपर

का अपने कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही तथा उदासीनता बरते जाने का द्योतक हे।

अतः ऐसी स्थिति में परिवहन विभाग के स्टोर का नियमित रूप से परीक्षण कराये जाने हेतु स्टोर कीपर को निर्देशित करने का कष्ट करें।(पत्रांक 18डी/16/मु.न.ले.प./2022–23 दिनांक 28.05.2022)

II. नगर निगम वाराणसी में छोटी–बड़ी गाड़ियों को चलाने हेतु नियमित, संविदा तथा आउटसोर्सिंग पर ड्राइवरों को रखकर वाहनों का संचालन कराया जा रहा है । नगर निगम में ठेके पर भी वाहनों की आपूर्ति की गयी है। ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किए गए वाहनों को आउटसोर्सिंग के ड्राइवरों द्वारा चलाये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया गया था।ड्रारवर को कौन–कौन वाहन चलाने हेतु आवंटित किया गया है? जिन्हें निम्न विवरण के अनुसार उपलब्ध कराया जाय।

क्र0 स0 1	ड्राइवर का नाम 2	नियमित/आउटसोर्सिंग /सविदा 3	आवंटिव वाहन सं0 4	वाहन का प्रकार 5	मो0नं0 6

चुंकि उक्त विवरण महत्पूर्ण एवं नगर निगम हित से संबंधित होने के कारण आवश्यक है इसलिए वरीयता के आधार पर अधीनस्थ किसी कर्मचारी को नामित करते हुए उपलब्ध कराये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें। (पत्रांक 12डी/16/मु.न.ले.प./2022–23 दिनांक 24.05.2022)

9.नाजिरात विभाग

नजारत विभाग से संबंधित अभिलेखों जैसे स्टाक बुक, इन्डेन्ट बुक,सामानों से संबंधित पत्रावलियों एवं अन्य अभिलेखों का परीक्षण अभी तक नही कराया गया जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 समाप्त हुए दो माह हो चुके है। स्टोर से संबंधित अभिलेखों का परीक्षण नियमित रूप से न कराये जाने के कारण यह स्पष्ट नही हो पा रहा है कि स्टोर में क्रय किये गये सामानों की स्टाक बुक में प्रविष्टि तथा उनका उपयोग/वितरण ठीक ढंग से किया जा रहा है अथवा नही? अभिलेखों का नियमित रूप से परीक्षण न कराया जाना लेखा नियमावली के नियम 75(1)(2)(3) का उल्लघन तथा नाजिर का अपने कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही तथा उदासीनता बरते जाने का द्योतक है।

अतः ऐसी स्थिति में नाजिरात विभाग से संबंधित अभिलेखों का नियमित रूप से परीक्षण कराये जाने हेतु नाजिर को निर्देशित करने का कष्ट करें।(पत्रांक 15(1) डी/16/मु.न.ले.प./2022–23 दिनांक 28.05.2022)

10.राजस्व विभाग

(क)कृपया इस कार्यालय के संलग्न पत्र सं002डी/16/मु.न.ले.प./2022–23, दिनांक – 18.04.2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें।गत वित्तीय वर्ष 2021–22 समाप्त हो चुका है लेकिन दो पहियॅा तथा चार पहियॅा वाहन स्टैन्डों से प्राप्त आय का आडिट अभी तक नही कराया जा सका है। मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेखों को बार–बार मांगे जाने के बावजूद अभी तक संबंधित अभिलेखों को उपलब्ध न कराये जाने के कारण वाहन स्टैन्डो से प्राप्त आय का तुलनात्मक परीक्षण नही हो पाया है। अभिलेखों का नियमित रूप से परीक्षण न कराया जाना लेखा नियमावली के नियम 75 (1)(2)(3) का उल्लघन है।

(ख)चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में राजस्व विभग द्वारा किस–किस वाहन स्टैन्ड की विभागीय वसूली करायी जा रही है? तथा किस वाहन स्टैन्ड का ठेका निष्पादित हो चुका है? विभागीय वसूली किये जाने वाले कार्मिक के नाम के साथ–साथ वाहन स्टैन्डों के सूची की मांग मौखिक रूप से किये जाने के बावजूद अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया। वांछित अभिलेखों को समय से उपलब्ध न कराया जाना अनियमितता बरते जाने का द्योतक है।

(ग) गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय वसूली किये जाने पर विभिन्न वाहन स्टैडों के वसूली में काफी वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आयी थी जिसकी जॉच नगर आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार किये जाने पर उत्तरदायी कार्मिकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी थी। पिछले वित्तीय वर्ष के पैटर्न पर राजस्व विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में भी विभागीय वसूली करायी जा रही है जिसमें पूर्व वित्तीय वर्ष की भॉति अनियमितता किये जाने की सभंवना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

कृपया उक्त वांछित अभिलेखों को लेखा परीक्षा विभाग में अविलम्ब उपलब्ध कराये जाने हेतु विभागीय कर्मचारी को नामित करते हुए निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि पायी गयी अनियमितताओं सहित पूर्व के समस्त आरोपों को सम्मिलित करते हुए प्रकरण नगर आयुक्त महोदय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा सके। (पत्रांक 10 डी/16/मु.न.ले.प./2022–23 दिनांक–19.05.2022)

11.सम्परीक्षा में समान्य रूप से पाये जाने वाली कमिया जिसका अनुपालन सम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाना चाहिएः–

(क).आउट सोर्सिग पर कार्यरत कर्मचारियों के पूर्व के ई टेण्डर को ही आगे बढ़ाया जा रहा है जबकि शासनादेश के अनुसार समस्त आउटसोर्सिग टेण्डर जेम के माध्यम से होना चाहिए।

(ख)नगर निगम द्वारा बैंक चार्जेज के रूप में 105338.84 व्यय किया गया है जबकि सरकारी खातों पर बैंक चार्ज में छुट प्राप्त होती है।

(ग).नगर निगम वाराणसी में लेखा विभाग में कैश बुक (हस्तलिखित) का रख रखाव नियमानुसार नहीं है व वर्तमान में मैनुअल कैश बुक बनाया गया है जिनकी संख्या खातों के अनुसार है। नियमानुसार एक सिंगल कैश बुक होनी चाहिए समाप्ति पर कैश बुके का परीक्षण नहीं कराया गया जिसमें अनिमितता बरते जाने की पूर्ण सम्भावना हो सकती है।

(घ)नगरीय निकायों के निर्माण कार्यो हेतु मॉडल निविदा प्रपत्र ULB-T-1,ULB T-2 ULB T-3 अंगीकृत किए जाने के संबंध में निदेशक स्थानीय निकाय द्वारा निर्देश दिनांक 01.01.2021 जारी किया गया जिसका अनुपालन नहीं कराया जा रहा है।

(ड़)वित्तीय वर्ष 2022–23 में विभिन्न मदों में भवन अनुरक्षण पर पूर्व वर्ष की तुलना में अधिक व्यय किया गया है।

(च)नगर निगम वाराणसी में वित्तीय वर्ष 2022–23 में गृहकर के रूप में 596397139 की धनराशि प्राप्त हुई जिसमें वर्तमान वित्तीय वर्ष में गृहकर की मूल धनराशि ब्याज एवं की धनराशि को अलग–अलग नहीं दर्शाया गया जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उक्त धनराशि मे क्या–क्या शामिल करके अलग वित्तीय वर्ष में गृहकर धनराशि की वसूली को दिखाया गया है।

(छ) आउटसोर्सिग के भुगतान की पत्रावलियों में कार्मिकों के पूर्ववाह में काटे गए EPF तथा ESIC की प्रति संलग्न नहीं कराया जाता है।

उपसंहार

नगर निगत के वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय ,व्यय की समीक्षा करने पर पाया गया कि करों की वसूली, विज्ञापन स्थल का किराया , पार्किंग शुल्क,लाईसेंस शुल्क, सेवा–प्रशासनिक शुल्क तथा रोड कटिंग से आय इत्यादि मदों में बढ़ोत्तरी किए जाने के विभिन्न तरीको पर विचार करते हुए आवश्यक प्रयास किया जाना आवश्यक है। वर्तमान समय में नगर पचांयत, सूजाबाद, नगर पालिका परिषद रामनगर का विलय नगर निगम, वाराणसी में हो जाने एवं नगर निगम सीमा में कई राजस्व ग्रामो के सामिल हो जाने के फलस्वरूप बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के साथ–साथ आय के नये संशाधन विकसित किया जाना नगर निगम हित में आवश्यक है क्योकि नगर निगम सीमा का विस्तारीकरण हो जाने के कारण आय के नए संसाधन विकसित करना या बुनियादी सुविधाओं को उसी अनुपात में उपलब्ध कराया जाना एक साथ कई चुनौतियों का सामना करते हुए नगर निगम को जनहित में सभी कार्य सम्पादित किया जाना है जिसके लिए अभी से प्रत्येक स्तर पर प्रयास किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त के अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनीय है कि नगर निगम सीमा के विस्तारीकरण के फलस्वरूप जी0आई0एस0 तकनीक का उपयोग करते हुए नगरीय सीमा के जमीनों को चिन्हित करतें हुए उन जमीनों का आवासीय तथा व्यावसायिक उपयोग करने की दिशा में पहल करके नगर निगम के आय में स्थाई रूप से वृद्धि किए जाने की दिशा में हर सम्भव प्रयास किया जा सकता है जिसका निकट भविष्य में अच्छा परिणाम निगम को आय की दृष्टि से हासिल हो सकता है। अनावश्यक व्यय(डीजल/पेट्रोल,कार्यालयों की साज सज्जा आदि) पर यथा सम्भव नियंत्रण रखा जाना भी आवश्यक है। लेखा परीक्षा विभाग द्वारा प्रेषित की गयी विशेष आपत्ति, साधारण आपत्ति तथा समय–समय पर विभागाध्यक्षों को प्रेषित पत्रो के निस्तारण पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

लेखा नियमावली के नियम 76 में स्पष्ट प्राविधान है कि विशेष आपत्ति जारी होने के 15 दिनों के अन्दर विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर से आपत्तियों के निस्तारण हेतु आख्या प्रेषित किया जाना चाहिए परन्तु उक्त नियमों का अनुपालन नही किया जा रहा है। परिणामस्वरूप जैसे जैसे आपत्तिया पुरानी पड़ती जाती है वैसे वैसे सम्बन्धित अभिलेखों को सम्परीक्षा में उपलब्ध कराने अथवा वांछित नियमों का अनुपालन किये जाने में कठिनाई बढ़ती चली जाती हैं। अतः लेखा नियमावली के नियम 76 का अनुपालन आपत्ति जारी किए जाने के 15 दिनो के अन्दर सुनिश्चित किये जाने हेतु निगम प्रशासन को गम्भीरता पूर्वक विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ताकि ऑडिट आपत्तियों के उठाए जाने के फलस्वरूप नगर निगम के धन का दुरूपयोग होने की सम्भावना को बचाये रखने के साथ–साथ ऑडिट आपत्ति उठाये जाने की मूल भावना की अवधारणा नगर निगम हित में स्थापित हो सके ।

वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन तैयार कराये जाने के लिए लेखा परीक्षा विभाग के समस्त सम्परीक्षकों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होनें इस प्रतिवेदन को तैयार करने में काफी सहयोग प्रदान किया है।

नगर निगम प्रशासन तथा माननीय कार्यकारिणी समिति का ध्यान उपरोक्त तथ्यों की ओर इस आशय से आकृष्ट किया जाता है कि प्रतिवेदन में उठाये गये समस्त बिन्दुओं पर विचार करते हुए नगर निगम की आय बढ़ाये जाने की दिशा में प्रत्येक स्तर से कार्य किया जाना अपेक्षित है।

ज्येष्ठ लेखा परीक्षक

मुख्य नगर लेखा परीक्षक